न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर झालावाड

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 65/2020 (75 एल0आर0एक्ट) कल्याण सिंह बनाम भीमसिंह
(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2020/00101)

1 कल्याण सिंह आ0 रूपसिंह राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
2 लक्ष्मण सिंह आ0 रूपसिंह राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा

..... अपीलांटस

बनाम

1 भीमसिंह आ0 परमारसिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
2 अन्तरकंवर बेवा चतरसिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा तहसील अकलेरा
3 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अकलेरा

..... रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956विरुद्ध आदेश तहसीलदार अकलेरा दिनांक 15.09.16 नामान्तकरण सं0 101 ग्राम नारायणपुरा

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू माहेश्वरी
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से पूरीलाल राठोर

–: निर्णय :–

दिनांक 29.01.2021

1 यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार अकलेरा के द्वारा ग्राम नारायणपुरा के नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 15.09.2016 को पारित किये गये आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश करने में हुई देरी को केडोन करने का निवदेन किया।

2 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम नारायण पुरा पटवार हल्का आमेठा तहसील अकलेरा मे 2 किता की 9 बीघा 5 बिस्वा आराजी अपीलार्थीगण एव रेस्पोडेन्टस 1 से 2 के नाम दर्ज थी लेकिन दिनांक 15.09.2016 को जो नामान्तकरण स0 101 तस्दीक किया गया उसमें रेस्पोडेन्टस नं0 3 ने गलत तौर से अपीलार्थीगण का 1/6 हिस्सा और रेस्पो0 संख्या 1 का 3/[illegible] तथा स्स्पो0 नम्बर 2 का 1/12 हिस्सा दर्ज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील पेश की गई हैं। रेस्पो0 नं0 3 द्वारा बिना किसी अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश दिये है जो [illegible] विधि विरूद्ध है–तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:14 IST
Reason: SelfAttested

29/1/21

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अकलेरा द्वारा नामान्तकरण संबंधी आदेश मनमाना केप्रिसियश एवं परवर्स होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित होनेसे अपास्त होने योग्य है। रेस्पो0 नम्बर 1 ने गलत तौर से नामान्तकरण अपने पक्ष में तस्दीक कराकर अपना हिस्सा 3/4 करा लिया। नामान्तकरण जेर अपील की जानकारी सर्वप्रथम अपीलार्थी को दिनांक 18.11.2020 को उस वक्त हुई जब अपीलार्थीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की
अपील के साथ धारा 5 मियाद कानून के अन्तर्गत प्रा0पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि अपील दिनांक ज्ञान से अवधि मध्य स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2016 निरस्त किया जावे।

3 उक्त अपील बउज्र मियाद दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडन्ट नं0 1 व 2 की ओर से वकील श्री पूरीलाल राठौर द्वारा वकालत नामा पेश किया गया अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू माहेश्वरी द्वारा लिखिल बहस प्रस्तुत की गई जिसमे अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए अंकित किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम नारायणपुरा की आराजी के संबंध में जो नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 15.09.2016 को तस्दीक किया गया है वह विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया है नामान्तकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नही दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत तौर से रेस्पो0 नं0 1 को बिना किसी अधिकार के 3/4 हिस्से का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है, जबकि रेस्पो0 द्वारा स्वंय उक्त आराजी में 1/2 हिस्से के संबंध में अपनी आवेदन की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बना कर विधि विरूद्व तौर से रेस्पोडेन्ट का 3/4 हिस्सा दर्ज किया है तथा उसके लिए जो आधार दर्ज किए है वह भी गैर कानूनी है किसी भी परिस्थिति में उसका 3/4 हिस्सा नही बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अधिकार से परे जाकर राजस्व लोक अदालत में महज रेस्पोडेन्टस के प्रार्थना पत्र पर उसका 3/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड से हटकर दर्ज किया है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्व जाकर रेस्पोडेन्ट का हिस्सा प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज कर कानूनी भूल की है। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये ग्राम नारायणपुरा तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 15.09.2016 निरस्त होने योग्य है।

5 रेस्पो. सं0 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पूरीलाल राठोर द्वारा भी लिखित बहस पेश की गई जिसमें कथन किया कि आक्षेपित नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के निर्णय का निष्पादन है होने से अपीलान्टस को आक्षेप का अधिकार नही देता है–आक्षेपित नामान्तकरण तहसीलदार अकलेरा के न्यायिक कृत्य का परिणाम न होकर कार्यपालक कृत्य का परिणाम है, यह तहसीलदार का न्यायिक निर्णय न होकर न्यायिक आदेश का परिणाम है।उपखण्ड अधिकारी के आदेश के अस्तित्व(मूल आदेश) खण्डित नही हुआ है, उपखण्ड अधिकारी के आदेश को खण्डित करने की शक्ति इस न्यायालय को नही है। उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आमेठा केम्प में आवेदन दिनांक 17.06.16 को ही उपखण्ड अधिकारी ने आदेशिका में स्थान दिया है न कि दिनांक 18.05.2015 की आदेशिका को उपखण्ड अधिकारी अकलेरा ने किसी पक्षकार की साक्ष्य पर निर्णय आधृत नही किया अपितु हल्का पटवारी की रिपोर्ट जिसे भा0सा0अधिनियम 1872 की धारा 45 पर आधृत विशेषज्ञों की राय किया है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Data Jam
Date: 2021.02.03 18:41:14 IST
Reason: SelfAttested

29/1/21
प्रति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट

अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा–5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण के तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्य नजर एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रा0पत्र का कोई जवाब या खण्डन में काउंटर शपथ पत्र पेश नही करने के कारण अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है एवं अपील न्यायहित में अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7 अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण सं0 101 में पूर्व इन्द्राज कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पिसरान रूपसिंह व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह, भीमसिंह वल्द परमार सिंह जाति राजपूत निवासी आमेठा के स्थान पर कल्याण सिंह, लक्ष्मण सिंह पिसरान रूप सिंह हिस्सा 1/6 व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह हिस्सा 1/12 भीमसिंह वल्द परमार सिंह हिस्सा 3/4 जाति राजपूत निवासी आमेठा खातेदार शेष बदस्तूर दर्ज कर दिया है जिसका आधार उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आदेश दिनांक 17.06.2016 को माना है। परन्तु नामान्तकरण के साथ उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न नही है। उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति बहस के समय अपीलान्ट की ओर से उपलब्ध कराई गई। नामान्तकरण के लिए मुख्य आधार उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के इस आदेश को ही तहसीलदार अकलेरा ने बनाया। इस आदेश के संबंध में बहस के समय अपीलान्ट अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह आदेश न्यायिक आदेश नही बल्कि प्रशासनिक आदेश है। किसी की खातेदारी अधिकार के संबंध में धारा 88 आर.टी.एक्ट के तहत ही उपखण्ड अधिकारी दावे के तहत निर्णय करने के लिए सक्षम है। मात्र एक प्रा0पत्र पर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में से हिस्सा कम करने का अधिकारी नही है। प्रार्थना पत्र को केवल पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को व भूमिधारी को पक्षकार बनाए बिना ही तथा बिना किसी विवेचन के भीमसिंह पिता परमाल सिंह का 1/4 हिस्सा के स्थान पर 3/4 हिस्सा कर उसे अधिक भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया है।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने इसका तर्क दिया कि चाहे आदेश गलत है या सही उपखण्ड अधिकारी के आदेश के विरूद्व इस अदालत को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है तथा नामान्तकरण स्वीकृत करते समय केवल तहसीलदार को उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के आदेश को ही देखना होता है उसमें अपीलान्ट को सुनने का कोई प्रावधान नही है । रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने राजस्व मण्डल की पत्रिका राविरा के सौजन्य से प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ सं0 143 से 145 की नजीर पेश की जिसको इस प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होना बताया।

यह अपील नामान्तकरण संख्या 10[illegible] 15.09.2016 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये जाने पर इस [illegible] जिसको सुनने का इस न्यायालय को क्षेत्राधिकार है इस [illegible] अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया। तहसीलदार अकलेरा ने नामान्तकरण को स्वीकृत क[illegible] समय अपीलान्ट को नही सुना है और न ही उनको इसकी तत्समय जानकारी हुई यह भी एक स्वीकृत तथ्य है। यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Lerang 29/1/21

अति० कलक्टर एवम
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

भी सर्व मान्य है कि न्यायालय के निर्णय व डिक्री तथा आदेशों की पालना करना भी अधीनस्थ कार्मिक व अधिकारी का कर्तव्य होता है व निर्णय के बाद उसकी जॉच करने का अधिकार नही होता है । परन्तु इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने आदेश राजस्व लोक अदालत अभियान कैप आमेठा में पारित किया है। अब यह देखा जाना है क्या राजस्व लोक अदालत में इस प्रकार पारित किया गया निर्णय न्यायिक निर्णय की श्रैणी में आता है या नही । इस प्रकरण में रेस्पो0 नं0 1 की ओर से केवल उचित हिस्से दर्ज करने के लिए प्रा0पत्र दिया है उपखण्ड अधिकारी ने इस प्रार्थना पत्र पर निर्णय के प्रथम पैरा में टाइप शुदा रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी को अवलोकनार्थ व आदेशार्थ बिना किसी के हस्ताक्षर प्रस्तुत है के आधार पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 को 3/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया है, जबकि जबकि अपीलान्ट जो प्रभावित खातेदार है उसको पक्षकार नही बनाया है और न ही उसकी कोई सहमति ली गई उसके बावजूद राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राजस्व लोक अदालत अभियान की भावना यह थी कि यदि पक्षकार के मध्य समझौता या सहमति हो तो उसके आधार पर संबंधित अधिनियम की धाराओं के तहत निर्णय पारित किया जा सकता है यदि पक्षकार सहमत नही है अथवा अनुपस्थित है तो प्रकरण नियमित वाद की तरह ही निस्तारित किया जाना था। इस प्रकरण में तो प्रभावित खातेदार को पक्षकार भी नही बनाया है और नही राजस्व लोक अदालत कैप में बुलाया गया और न ही उसकी सहमति है। हमारी राय में खातेदारी अधिकारों की घोंषणा के लिए केवल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत दावा प्रस्तुत करने एवं प्रभावित खातेदार/सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाकर व लैण्ड होल्डर भूमिधारी को भी पक्षकार बनाया जाकर जवाब /पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। यदि पक्षकार सहमत है तो लोक अदालत की भावना से निर्णय व डिक्री पारित किया जा सकता है लेकिन सहमत नही है तो तनकीयात कायम कर तनकीवार विवेचन करते हुए न्यायालय को निर्णय व डिक्री पारित की जानी होती है। अतः केवल राजस्व लोक अदालत में प्रावधानों/प्रक्रिया की पालना किए बिना पारित किया गया आदेश न्यायिक निर्णय की परिभाषा में नही माना जा सकता है तथा ऐसे निर्णय के आधार पर तहसीलदार को नामान्तकरण खोलते समय पक्षकारों को विशेष कर प्रभावित पक्षकार एवं सहखातेदार को हमारी राय में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के अधिवक्ता ने नामान्तकरण से पूर्व की जामाबंदी पेश की है तथा नामान्तकरण के इन्द्राज के कालम सं0 7 पर अंकित पूर्व इन्द्राज में कल्याण सिंह, लक्ष्मणसिंह पिसरान रूप सिंह व अंतर कंवर बेवा चतर सिंह, भीमसिंह वल्द परमार सिंह खातेदार का बैक में हिस्सा रहन दर्ज होने का अंकन है जिसमें भीमसिंह का हिस्सा केवल 1/4 ही रहन रखा गया था [illegible] उसका हिस्सा 1/4 ही सहखातेदारों द्वारा सहमति से माना है लेकिन उपखण्ड अधिकारी के एक पक्षीय आदेश दिनांक 17.06.2016 के द्वारा प्रभावित पक्षकार/सहखातेदारों को सुने बिना व बिना सहमति के रेस्पोडेन्ट सं0 1 का 3/4 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया है व नामान्तकरण स्वीकार करते समय भी सहखातेदारों/प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:14 IST
Reason: SelfAttested

2/1/21
प्रति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

अवसर नही दिया गया है, जो न्यायोचित नही माना जा सकता । जहॉ तक रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता ने जो नजीर पेश की है, उसके तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होती है। अतः तहसीलदार अकलेरा द्वारा स्वीकृत गये ग्राम नारायणपुरा तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 15.09.2016 को निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

8 अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं तहसीलदार अकलेरा द्वारा स्वीकृत किये गये ग्राम नारायणपुरा तहसील अकलेरा के नामान्तकरण सं0 101 दिनांक 15.09.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार अकलेरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि नामान्तकरण में निर्णय पारित करने से पूर्व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की पालना किए जाने हेतु प्रभावित पक्षकार/सहखातेदार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जावे तत्पश्चात पुनः निर्णय पारित करें।

29/1/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

9 निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/1/21

(दाताराम)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
झालावाड़

अति० कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dataram
Date: 2021.02.03 18:11:14 IST
Reason: SelfAttested